न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 71/2025 अपील (GCMS 2025/82)
पंजीयन दिनांक– 20/02/2025
निर्णय दिनांक– 30/07/2025

श्री गौरव विरवाल पिता स्व. श्री प्रकाश चंद्र विरवाल, निवासी 207, नवजीवन अपार्टमेंट राधाकृष्ण मंदिर के पास, ट्रीकम नगर, सूरत, गुजरात

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार–मावली, जिला–उदयपुर।
2. ममता बैन उदयलाल विरवाल, निवासी गांव लूंडा, तहसील कानौड़, जिला उदयपुर

–रेस्पोडेंट्स

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर सत्यमेव जयते

उपस्थितिः–

1. श्री कमल कृपलानी — अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक — अधिवक्ता रेस्पोडेंट 1
3. श्री कैलाश चंद्र मेनारिया — अधिवक्ता रेस्पोडेंट 2

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार, मावली दिनांक 14.02.2025

निर्णय

दिनांकः 30/07/2025

- अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, मावली के आदेश दिनांक 14.02.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में पेश की गई।
- इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मेडता, तहसील मावली स्थित आराजी संख्या 2723/304 एवं

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

2724/304 खाते में अपीलांट के पिता प्रकाश चंद्र के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज है। खातेदार प्रकाश चंद्र की मृत्यु होने से उसके पुत्र अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार, मावली के यहां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी माता–पिता का तलाक हो चुका है तथा उसके अलावा मृत का अन्य कोई वारिस नहीं है जिससे नामान्तरकरण उसके नाम खोला जाये। प्रार्थना पत्र के साथ लिखित तलाक नामे की प्रति भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गयी। बाद सुनवाई तहसीलदार ने दिनांक 14.02.2025 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

- अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

- वकील अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि उसके पिता व माता में दिनांक 17.11.2008 को तलाक हो चुका है। तलाक नामे की प्रति तहसीलदार, मावली के समक्ष पेश की गयी थी परन्तु तहसीलदार ने उसको यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक न्यायालय द्वारा ही हो सकता है जिससे यह तलाक मान्य नहीं है। जबकि अपीलांट अनुसूचित जाति का है जिस पर हिन्दु विवाह अधिनियम लागू नहीं होता है। रेस्पोडेंट संख्या 2 ने भी लिखित में इस न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया है कि पति–पत्नि में तलाक होकर वह अलग रह रही है और भूमि अपीलांट के नाम दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं है जिससे अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

- विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 ने बताया कि उन्होंने लिखित में जवाब प्रस्तुत कर दिया है कि पति–पत्नि में तलाक हो चुका है।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

अपीलांट के पिता की भूमि से रेस्पोडेंट का कोई लेना देना नहीं है। यदि भूमि अपीलांट के नाम दर्ज की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मावली द्वारा उचित निर्णय पारित किया है। जिससे अपील निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

- *हमने दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उनके खातेदारी की भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना के साथ अपने पिता एवं माता रेस्पोडेंट संख्या 2 के आपसी तलाक नामे दिनांक 17.11.2008 की प्रति भी पेश की। तहसीलदार द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 को जरिये सम्मन तलब किया परन्तु वह बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुई जिससे तहसीलदार ने तलाक नामे के आधार पर रेस्पोडेंट 2 को खातेदारी से वंचित करना विधि सम्मत नहीं मानते हुए अपीलांट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया। अपीलांट के पिता प्रकाश चन्द्र की मृत्यु दिनांक 22.12.2023 को होना अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया है। रेस्पोडेंट संख्या 2 ममता बेन ने न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में प्रार्थना पत्र पेश कर अपने पति से तलाक हो जाने की पुष्टि की और बताया कि उसका अपने पति की सम्पत्ति से कोई लेना देना नहीं है यदि अपीलांट, जो उनके पुत्र हैं, के नाम भूमि कर दी जाती है तो उसके कोई आपत्ति नहीं है। आगे यह भी बताया कि वह अब विवाहित होकर अपना जीवन यापन कर रही हैं।*

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

- *अपीलांट के पिता स्व. प्रकाश चन्द्र और माता रेस्पोडेंट संख्या 2 ममता बेन के बीच दिनांक 17.11.2008 को आपसी सहमति से तलाक हो चुका है जो नोटरी द्वारा प्रमाणित है तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 तलाक के बाद विवाहित जीवन व्यतीत कर रही है तथा अपने जायन्दा पुत्र, अपीलांट के नाम भूमि करने पर उसको कोई आपत्ति भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार करने योग्य है।*

- *अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार का आदेश दिनांक 14.02.2025 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार नामान्तरकरण अपीलांट के पक्ष में खोलने की कार्यवाही करें।*

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर सत्यमेव जयते

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर.)

संभागीय आयुक्त उदयपुर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को सुनाया गया।
मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

संभागीय आयुक्त उदयपुर (राज.)